भारत सरकार | राज्य सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 847
(वाणिज्य विभाग)

**दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का निलंबन**

847 **श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (एसएसओसीए) को अक्टूबर 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निलंबन के क्या कारण थे;

(ग) क्या आज की स्थिति के अनुसार उक्त निलंबन / प्रतिबंध हटा लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो निलंबन की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा सिक्किम में जैविक प्रमाणन कार्यकलापों को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अधीन प्रमाणन निकाय के रूप में सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (एसएसओसीए) की मान्यता राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा निलंबित की गई थी। यह निलंबन एसएसओसीए द्वारा अपने प्रमाणित कार्यों की अपर्याप्त निगरानी के कारण हुआ, क्योंकि इसकी प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गई थीं। इन कमियों ने एसएसओसीए द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया।

(ग) एवं (घ): सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (एसएसओसीए) अभी भी निलंबन के अधीन है। एनएबी के निर्णय के अनुसार, मान्यता की बहाली एनपीओपी की आवश्यकताओं के संतोषजनक अनुपालन के अध्यधीन है। एसएसओसीए को निलंबन के बाद से अपने प्रमाणन कार्यक्रम में पाई गई गंभीर कमियों को दूर करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई और उपायों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था, जो अभी तक नहीं किया गया है। इन विवरणों की प्राप्ति के बाद अगले चरण में सत्यापन लेखापरीक्षा की जाएगी। सिक्किम राज्य में जैविक प्रमाणन कार्यकलापों के संबंध में, ये कार्यकलाप अन्य एनपीओपी-मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों के माध्यम से जारी हैं।

*****